सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 65

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1374.28	313.35	1687.63	2389.00	247.40	2636.40	2379.02	288.13	2667.15	2534.00	300.49	2834.49
	पूंजी	***1.59***	*1.30*	*2.89*	*11.00*	*1.30*	*12.30*	*11.00*	*0.80*	*11.80*	*166.00*	*0.80*	*166.80*
	जोड़	**1375.87**	**314.65**	**1690.52**	**2400.00**	**248.70**	**2648.70**	**2390.02**	**288.93**	**2678.95**	**2700.00**	**301.29**	**3001.29**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	7.06	7.06	...	6.54	6.54	...	6.69	6.69	...	6.95	6.95
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग(एमएसएमई)													
2. ऋण सहायता कार्यक्रम	2851	129.32	...	129.32	172.75	...	172.75	171.50	...	171.50	19.70	...	19.70
3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम	2851	225.68	3.55	229.23	328.50	5.00	333.50	332.17	...	332.17	471.80	...	471.80
4. अन्य स्कीमें	2851	8.64	0.80	9.44	50.25	1.00	51.25	49.30	...	49.30	72.32	...	72.32
5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2851	46.80	...	46.80	41.60	...	41.60	51.60	...	51.60	79.50	...	79.50
6. असंगठित/औपचारिक क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग	2851	1.11	...	1.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	0.21	...	0.21	7.15	...	7.15	2.66	...	2.66	12.98	...	12.98
8. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2851	...	17.35	17.35	...	15.00	15.00	...	16.80	16.80	...	17.67	17.67
9. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाए और कार्यक्रम	2851	40.78	75.92	116.70	48.35	68.00	116.35	43.12	73.50	116.62	46.70	78.12	124.82
10. एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई वृद्धि ध्रुव	2851	25.55	...	25.55	50.50	...	50.50	28.61	...	28.61	72.00	...	72.00
11. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2851	4.38	...	4.38	9.50	...	9.50	5.99	...	5.99	8.40	...	8.40
12. डाटाबेस को अद्यतन करना	2851	0.56	...	0.56	5.89	...	5.89	1.85	...	1.85	5.39	...	5.39
13. लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रहण	3601	13.28	...	13.28	10.16	...	10.16	15.87	...	15.87	10.16	...	10.16
	3602	0.46	...	0.46	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35
	जोड़	*13.74*	*...*	*13.74*	*10.51*	*...*	*10.51*	*16.22*	*...*	*16.22*	*10.51*	*...*	*10.51*
14. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग	4059	1.44	...	1.44	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	8.00	...	8.00
15. एमएसएमई के लिए विशेष योजना	2851	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग(एमएसएमई)		**498.21**	**97.62**	**595.83**	**733.50**	**89.00**	**822.50**	**710.52**	**90.30**	**800.82**	**808.30**	**95.79**	**904.09**
खादी एवं ग्राम उद्योग													
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग													

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग													
16.01 खादी उद्योग	2851	117.48	164.02	281.50	262.80	110.00	372.80	367.89	144.78	512.67	206.58	154.91	361.49
16.02 अन्य ग्राम उद्योग	2851	34.60	...	34.60	51.30	...	51.30	57.63	...	57.63	51.30	...	51.30
जोड़- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग		*152.08*	*164.02*	*316.10*	*314.10*	*110.00*	*424.10*	*425.52*	*144.78*	*570.30*	*257.88*	*154.91*	*412.79*
ब्याज सब्सिडियां													
17. ब्याज सब्सिडियां													
17.01 खादी उद्योग	2851	5.00	22.00	27.00	4.95	22.00	26.95	4.95	22.00	26.95	0.01	22.00	22.01
17.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	5.00	5.36	10.36	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86	0.01	5.36	5.37
जोड़- ब्याज सब्सिडियां		*10.00*	*27.36*	*37.36*	*9.45*	*27.36*	*36.81*	*9.45*	*27.36*	*36.81*	*0.02*	*27.36*	*27.38*
18. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	2851	3.00	0.72	3.72	6.00	0.50	6.50	6.00	0.50	6.50	10.00	0.50	10.50
19. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	2851	13.95	...	13.95	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
20. खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा वृद्धि की स्कीम	2851	3.44	...	3.44	18.90	...	18.90	13.65	...	13.65	18.90	...	18.90
21. मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारसंरचना का सुदृढ़ीकरण और आधारसंरचना के विपणन के लिए सहायता	2851	2.72	...	2.72	4.90	...	4.90	0.90	...	0.90	7.40	...	7.40
22. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	545.71	...	545.71	815.25	...	815.25	911.91	...	911.91	933.30	...	933.30
23. परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि हेतु योजना	2851	12.00	...	12.00	14.90	...	14.90	8.70	...	8.70	18.00	...	18.00
24. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	2851	96.00	...	96.00	172.80	...	172.80	1.00	...	1.00	172.80	...	172.80
25. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण	6851	0.15	1.00	1.15	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
जोड़-खादी एवं ग्राम उद्योग		**839.05**	**193.10**	**1032.15**	**1374.30**	**138.86**	**1513.16**	**1395.13**	**173.14**	**1568.27**	**1436.30**	**183.27**	**1619.57**
26. कयर उद्योग													
26.01 कयर बोर्ड	2851	29.00	16.80	45.80	33.30	14.00	47.30	30.00	18.50	48.50	29.80	14.98	44.78
	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
	जोड़	*29.00*	*17.10*	*46.10*	*33.30*	*14.30*	*47.60*	*30.00*	*18.80*	*48.80*	*29.80*	*15.28*	*45.08*
26.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन	2851	9.73	...	9.73	18.90	...	18.90	14.03	...	14.03	18.90	...	18.90
जोड़- कयर उद्योग		*38.73*	*17.10*	*55.83*	*52.20*	*14.30*	*66.50*	*44.03*	*18.80*	*62.83*	*48.70*	*15.28*	*63.98*
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
27.01 अन्य योजनाएं	2552	...	...	...	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	9.50	...	9.50
27.02 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2552	...	...	...	0.60	...	0.60	...	...	...	0.20	...	0.20
27.03 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2552	...	...	...	3.40	...	3.40	3.40	...	3.40	5.50	...	5.50
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.30	...	18.30

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	वास्तविक 2009-2010 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	संशोधित 2010-2011 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2010-2011 जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	बजट 2011-2012 आयोजना-भिन्न	बजट 2011-2012 जोड़
	जोड़	...	...	...	*3.40*	...	*3.40*	*3.40*	...	*3.40*	*23.80*	...	*23.80*
27.04 विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2552	...	...	...	70.00	...	70.00	69.54	...	69.54	71.50	...	71.50
	4552	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*70.50*	...	*70.50*	*70.04*	...	*70.04*	*71.50*	...	*71.50*
27.05 खादी और ग्रामोद्योग	2552	...	...	...	60.95	...	60.95	43.35	...	43.35	54.00	...	54.00
	6552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	जोड़	...	...	...	*63.95*	...	*63.95*	*46.35*	...	*46.35*	*57.00*	...	*57.00*
27.06 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2552	...	...	...	90.75	...	90.75	111.18	...	111.18	103.70	...	103.70
27.07 कयर उद्योग	2552	...	...	...	3.80	...	3.80	2.37	...	2.37	4.30	...	4.30
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान		...	...	...	*240.00*	...	*240.00*	*240.34*	...	*240.34*	*270.00*	...	*270.00*
28. सरकारी क्षेत्र में निवेश	4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	136.70	...	136.70
29. वास्तविक वसूलियां	2851	-0.12	-0.23	-0.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1375.87***	***314.65***	***1690.52***	***2400.00***	***248.70***	***2648.70***	***2390.02***	***288.93***	***2678.95***	***2700.00***	***301.29***	***3001.29***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	12851	...	194.72	194.72	...	150.00	150.00	...	335.00	335.00	155.00	550.00	705.00
जोड़		**...**	**194.72**	**194.72**	**...**	**150.00**	**150.00**	**...**	**335.00**	**335.00**	**155.00**	**550.00**	**705.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	1375.87	194.72	1570.59	2160.00	150.00	2310.00	2149.68	335.00	2484.68	2430.00	550.00	2980.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	240.00	...	240.00	240.34	...	240.34	270.00	...	270.00
जोड़		**1375.87**	**194.72**	**1570.59**	**2400.00**	**150.00**	**2550.00**	**2390.02**	**335.00**	**2725.02**	**2700.00**	**550.00**	**3250.00**

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक ऋण गारंटी स्कीम प्रचालन में है। इस स्कीम में संपार्शिवक के बगैर मौजूदा लघु उद्यमों के साथ-साथ नए उद्यमों के लिए 100 लाख रु. तक के ऋण पर सदस्य उधारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधा कवर की जाती है। इस कार्यक्रम के अधीन पोर्टफोलियों जोखिम निधि के दूसरे घटक में भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म, वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध कराती है जिसे एमएफआई/एनजीओ से ऋण राशि की अपेक्षित प्रतिभूति जमा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता और विकास स्कीम को कवर किया जाता है जिसके तहत सहायता गैर कृषि कार्यकलापों में उनके उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता:** इस कार्यक्रम के अधीन औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान कवर किए जाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औजार कक्ष कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद,

इन्दौर, भूवनेश्वर, जमशेदपुर, जालंधर और नागौर में स्थित हैं। डिजाइन वाले औजार मोल्ड, जिग एवं फिक्चर, पुर्जे आदि उत्पादित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग सहायता हेतु उन्हें इन्डो जर्मन एवं इन्डो-डेनिस के सहयोग से आरम्भ किया गया। ये कक्ष औजार और डाई मैकरों को प्रशिक्षण और परामर्श भी प्रदान करते हैं। एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मंुबई एवं हैदराबाद में स्थित हैं। ये उत्पाद विशेष की समस्याओं की देख-भाल करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फारजिंग, इलैक्ट्रानिक संुगध तथा सुरस, स्पोर्ट जूते, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आगरा और चैन्नई स्थित सूलमउ के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) कार्य करने के लिए सूक्ष्म और लघु फुटवियर विनिर्माण इकाईयों के लिए फुटवियर उद्योग और सामान्य सुविधा सेवाओं में जनशक्ति विकसित करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं तथा फुटवियर उद्योग के लिए नई डिजाइन भी विकसित करते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अधीन शामिल ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति योजना और कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों में वर्टिकल शाफ्टक्लिन (वीएसबीके) प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मिशन आदि शामिल हैं। अनुमोदित लघु औजार कक्षों के स्पिल ओवर देयताओं को यहां किए गए प्रावधान से ही पूरा किया जाता है।

4. **अन्य स्कीमें:** अन्य स्कीमों में (I) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है (II) सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान और (III) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उददेश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिश्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है। सर्वेक्षण; अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए विख्यात स्वतंत्र एजेंसियों को अनुदान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी समिश्रण और/अथवा उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा निर्यात संवर्धन और व्यापार संवर्धन एवं निवेश लिंकेज के लिए संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के विचार से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा विदेश स्थित उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संवर्धित करना है। ''प्रशिक्षण संस्थान'' को सहायता की स्कीम के अधीन तीन राष्ट्रीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी और राष्ट्रीय सूलमउ संस्थान, हैदराबाद को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मौजूदा और नए प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमिता विकास संबंधी प्रयासों को सहायता के लिए समतुल्य (मैचिंग) अनुदान भी दिया जाता है।

5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड:** मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हित संवर्धन और विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सहायता सेवाओं के अधीन एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कार्य करता आ रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें नामतः ''विपणन सहायता स्कीम'' और ''निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विपणन सहायता स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु उद्यमों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सूचीबद्ध प्रत्यायन ऋण रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी द्वारा निष्पादन के साथ-साथ ऋण योग्यता हेतु स्वयं की रेटिंग कराने के लिए 75 प्रतिशत तक की सीमा में (अधिकतम 4000.00/- रु. तक) आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराई जाती है।

7. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना:** राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के संभावित उन उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराना है जिन्होंने नए उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन में विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा उद्यमों की स्थापना और उन्हें चलाने हेतु अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताएं चुनिंदा प्रमुख एजेंसियो के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। विभिन्न सरकारी स्कीमों/प्रोत्साहन/विनियमन आदि के लिए सूचना के संबंध में वर्तमान और संभावित उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है।

8. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.):** विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक केन्द्रीय निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और लघु उद्योगों के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

9. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय, विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सू.ल.म.उ. परीक्षण केन्द्र और सू.ल.म.उ. परीक्षण स्टेशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं। एमडीपी/ईडीपी/कौशल विकास, राष्ट्रीय पुरस्कार, सहायता के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम, लघु तथा मध्यम उद्यमों की उद्यमिता और प्रबंध विकास के लिए सहायता, विज्ञापन और प्रचार तथा सीनेट परियोजना इस स्कीम के अधीन अन्य कार्यक्रम हैं। कुछ नए संघटक अर्थात चयनित व्यवसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थानों आदि के माध्यम से नए उद्यमों के लिए ट्रेलर पाठ्यक्रमों के संचालन और 1200 उद्यमी क्लब चलाने के लिए पांच चयनित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सहायता के लिए एक कार्यक्रम और विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्यय इस शीर्ष के अधीन शामिल किए गए हैं।

10. **एम.एस.एम.ई. क्लस्टर कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. वृद्धि ध्रुव:** सू.ल.म.उ. क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय के महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधारसंरचना सहायता को भी जोड़ा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शित करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी के संघों को सहायता प्रदान की जाएगी।

11. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रम:** अंतर्राष्ट्रीय खुदरा बाजार में उत्पादों के सफलतापूर्वक विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए बार-कोडिंग के एकबारगी पंजीकरण में लगने वाली लागत के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीएसआई इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) का 75 प्रतिशत भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। इस स्कीम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्यात पैकेजिंग में भी आयोजित किए जाते हैं।

http://indiabudget.nic.in

12 & 13. **लघु उद्योगों के डाटा बेस का उन्नयन और आंकड़ों का एक ऋण:** इस कार्यक्रम के अधीन इकाईयों की संख्या, रोजगार, वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा/उत्पादन मूल्य, रूग्णता/समापन की सीमा एवं बढ़ा निर्यात, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय गणना के माध्यम से सांख्यिकी और सूचना संग्रहण भी किया जाता है। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसमें जिला उद्योग केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण की भी व्यवस्था है।

14. **कार्यालय आवास का निर्माण - ग्रामीण और लघु उद्योग:** यह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है।

15. **सूलमउ पर विशेष स्कीम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कार्यबल की रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष श्री टी.के.ए. नायर द्वारा जनवरी, 2010 में माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट सूलमउ के विकास और संवर्धन के लिए रास्ता (रोडमैप) उपलब्ध कराती है। इसने सूलमउ को राहत और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से समयबद्ध पद्धति में प्राप्ति के लिए हाल की की आर्थिक मंदी, संस्थागत परिवर्तनों और कार्यक्रम के ब्यौरे के फलस्वरूप तत्काल कार्रवाई करने के लिए कार्यसूची की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त देश में उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने और सूलमउ की वृद्धि के लिए उपयुक्त कानूनी और विनियामक ढ़ाँचा स्थापित करने के सुझाव दिए हैं। इस उप क्षेत्र को विशेष ऋण देने के लिए सूक्ष्म उद्यमों हेतु विशेष निधि की स्थापना करना, एक सार्वजनिक प्राप्ति नीति शुरू करना, जो नियत समय अवधि में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक मात्रा के कम से कम 20 प्रतिशत के लक्ष्य को अनिवार्य बनाती है एवं 5 वर्ष की अवधि में लगभग 5500 करोड़ रु. के अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च का निर्धारण करना, मौजूदा अवसंरचना और संस्थागत स्थापना की कमियों को दूर करने में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कार्यबल की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं।

16. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग:**

16.01. **खादी उद्योग:** खादी अनुदान के अधीन बजटीय आबंटन में खादी का विकास संवर्धन, खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सहायता, पुराने चरखों एवं करघों का प्रतिस्थापन, खादी फैब्रिक को रैडीमेड़ गारमेंट्स में बदलने द्वारा मूल्यसंवर्धन के प्रोत्साहन की योजना, खादी की बिक्री पर रिबेट के प्रावधान, उत्पादन पर आधारित 'एमडीए', खादी संस्थाओं द्वारा 4 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर लिए गए अवधि एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिड़ी, नए उत्पादक का विकास, खादी उत्पादों की डिजाइनिंग एवं बेहतर पैकेजिंग के लिए 'प्रोदीप' स्कीम हेतु आवंटन, खादी कारीगरों का कल्याण एवं खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना आदि सम्मिलित हैं।

16.02. **अन्य ग्रामोद्योग:** इस उपशीर्ष के अधीन बजटीय प्रावधान-तकनीकी उन्नयन के माध्यम से ग्रामोद्योग के विकास एवं संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी को आसान बनाने के माध्यम से विकसित बाजार-पहुंच, बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण, नए उत्पादों के विकास, ग्रामोद्योगी उत्पादों की डिजाइनिंग एवं बेहतर पैकेजिंग हेतु 'प्रोदीप' स्कीम के लिए आवंटन पॉलिवस्त्र की खुदरा बिक्री पर रिबेट/पॉलिवस्त्र के उत्पादन पर आधारित 'एमडीए', केवीआईसी/केवीआईबी के वर्तमान प्रशिक्षण संस्थानों एवं इनसे संबद्ध संस्थानों का उन्नयन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) स्कीम के क्लस्टरों के विकास आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

17. **अन्य ग्रामोद्योग:** इस उपशीर्ष के अधीन बजटीय आवंटन, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास हेतु खादी संस्थाओं को आनवर्ड लैंडिंग के लिए 'केवीआईसी' को पूर्व में दिए गए सरकारी ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज के स्थान पर सब्सिडी के लिए प्रदान किया जाता है। यह राशि एक बही-हस्तांतरण है, क्योंकि इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी ऋण की ब्याज देयता के समक्ष समायोजित किया जाता है।

18. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी):** यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसकी स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को समाप्त करके उसके स्थान पर आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। एमगिरी का मुख्य कार्य अनुसंधान, अनुसंधान और विकास का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी आधारित सूचना के वितरण के माध्यम से ग्रामोद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का बढ़ावा देना है।

19. **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड़ स्कीम:** निरंतर विकास के पथ हेतु खादी कत्तिनों एवं बुनकरों को सुविधा प्रदान करने एवं उन्हें सशक्त बनाने, कताई और बुनाई कार्य को सक्षमता से करने के लिए उन्हें बेहतर कार्यवातावरण प्रदान करने एवं उनकी आय में वृद्धि हेतु मई, 2008 में 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड़ स्कीम' की शुरूआत की गई।

20. **'खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की योजना':** अप्रचलित एवं पुरानी मशीनरी और उपकरणों के प्रतिस्थापन एवं वर्तमान/कार्यशील मशीनरी एवं उपकरणों के नवीनीकरण/मरम्मत द्वारा अधिक बाजारोन्मुखी, लाभदायक उत्पादन करने एवं खादी कारीगरों एवं संबंधित सेवा प्रदाताओं को सतत् रोजगार उपलब्ध कराने के साथ खादी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए मंत्रालय ने 'केवीआईसी' के माध्यम से जुलाई, 2008 में 'खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की योजना' की शुरूआत की। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य सरकारी बजटीय संसाधनों से 'केवीआईसी' को 71.14 करोड़ रूपये के अनुदान की वित्तीय सहायता सहित कुल 84.00 करोड़ रूपये की लागत के साथ 'ए+' और 'ए' श्रेणी की 200 खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनमें से 50 संस्थाए ऐसी होगी जिनका प्रबंधन विशेषरूप से अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

21. **वर्तमान कमजोर खादी संस्थाओं के ढ़ाँचे को मजबूत बनाने एवं विपणन-ढ़ाँचे की सहायता की योजना:** वर्तमान 30 चयनित खादी बिक्री केंद्रों के पुनरूद्धार एवं वर्तमान चयनित 100 कमजोर संस्थाओं के ढ़ाँचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु चार वर्ष की अवधि के लिए, मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2009 में इस योजना की शुरूआत की गई।

22. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** यह केन्द्रीय क्षेत्र का क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम है जिसे 31.03.2008 तक कार्यशील मंत्रालय की ''प्रधानमंत्री रोजगार योजना'' और ''ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक'' दो स्कीमों को मिलाकर अगस्त, 2008 में अनुमोदन मिलने के उपरांत शुरू किया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित निधियों का उपयोग, प्रशिक्षण एवं बैकवर्ड-फारवर्ड लिकेंजेस संबंधी लागत को पूरा करने हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान

करने हेतु किया जाएगा। पीएमआरवाई और आरईजीपी के अंतर्गत शेष देयताओं को परिसमाप्त करने के अतिरिक्त, प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना, जनजातीय/उन योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम शामिल है।

23. **पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति):** 'स्फूर्ति' नामक स्कीम का शुभारंभ 100 पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों (खादी, ग्रामोद्योग एवं कयर) का व्यापक विकास करने हेतु किया गया। केवीआईसी और कयर बोर्ड स्कीम के लिए एजेंसी है जो कि क्लस्टर विकास पद्धति के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संकेन्द्रित पुनसृर्जिन हेतु यह प्रथम व्यापक पहल है।

24. **खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता):** आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, "एडीबी और केवीआईसी" के परामर्श ये तैयार किए गए व्यापक खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर की बाहरी वित्तीय सहायता उपलब्धध कराने का प्रबंध कर रहा है। इस सुधार कार्यक्रम के साथ, मंत्रालय, खादी की संपोषणीयता में वृद्धि, कारीगर कल्याण में वृद्धि एवं केवीआईसी की सरकारी अनुदानों पर निर्भरता में कमी लाते हुए उसे स्वावलम्बी बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का पुनरूद्धार करना प्रस्तावित करता है। हाल ही में दिनांक 22.12.2009 को "एडीबी और केवीआईसी" के मध्यक आवश्यक समझौतों पर हस्तामक्षर किए गए हैं।

25. **खादी उद्योग:** केवीआईसी के कर्मचारियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

26. **कयर उद्योग:**

26.01. **कयर बोर्ड:** स्कीम में कयर बोर्ड योजना (सामान्य) और कयर बोर्ड योजना (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) शामिल है। कयर बोर्ड का उद्देश्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के संचालन; कयर और कयर उत्पादों के निर्यात और घरेलू उपभोग से संबंधित आकड़ों का एकत्रण, नये उत्पादों और डिजाइनों का विकास; निर्यात एवं आंतरिक बिक्री के संवर्धन हेतु प्रचार; भारत और विदेशों में कयर और कयर उत्पादों का विपणन; उत्पादकों और निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना; उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाईयों की स्थापना में सहायता करना; हस्क, कयर फाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादकों के बीच सहकारी संस्थानों का संवर्धन; उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने आदि के द्वारा देश में कयर उद्योग के विकास का संवर्धन करना है

26.02. **कयर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन:** स्कीम का उद्देश्य कतिनों और अतिलघु घरेलू क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कयर उद्योग को विकसित करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत पुराने रटों/करघों को बदलने और वर्कशेड निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है ताकि कामगारों के उत्पादन और उपार्जन में वृद्धि हो सके।

27. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए स्कीम वार प्रावधान किया गया है।

28. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** यह प्रावधान प्रधान मंत्री के कृत्तिक बल की सिफारिशों के अनुसार एनएसआईसी में अतिरिक्त इक्विटी निवेश के लिए है। अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए भी प्रावधान शामिल किया गया है।